



Holy Child

PUBLIC SCHOOL
(Managed by R.P. Educational Trust)

सा विद्या या विमुक्तये

(Affiliated to C.B.S.E., New Delhi)
Affiliation No. : 3430359 / School Code : 66558

Ref No. HCPS / 69 / 2023-24

Date: 05.12.2023

To,
The District Superintendent of Education,
Ranchi.

Sub: Regarding submission of papers for RTE Affiliation of Holy Child Public School, Hehal, Ranchi

Respected Sir / Ma'am,

With reference to the above subject, we hereby submit all the required documents for RTE Affiliation of our school. Index page is attached for your quick reference.

We kindly request you to acknowledge our file and do the needful for getting our school recognized under RTE.

Thank You.

Regards

5/12/23
Kanchan Dayal

(Manager)

9835336897

Manager
Holy Child Public School



[Signature]
Principal
Holy Child Public School
Affi. No.- 3430359
School Code- 66558

[Signature]
Manager
Holy Child Public School

झारखण्ड निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियमावली, 2011 की कंडिका 12(1) एवं विभागीय अधिसूचना संख्या 629 दिनांक 25-04-2019 के द्वारा किए गए प्रावधान के आलोक में विद्यालय को मान्यता प्रदान करने के लिए समर्पित स्वघोषणा-सह-आवेदन प्रपत्र-1

क.विद्यालय का ब्यौरा	
1	विद्यालय का नाम HOLY CHILD PUBLIC SCHOOL
2	विद्यालय का यूजायस कोड (12 अंक) 20140115514
3	मान्यता हेतु प्रस्तावित कक्षा..... से कक्षा..... NURSERY - VIII
4	शैक्षिक सत्र जिससे मान्यता प्रस्तावित है SESSION : 2017 - 2018
5	जिला RANCHI
6	डाक का नाम HEHAL
7	ग्राम/ नगर RANCHI
8	पिन कोड 834005
9	तहसील RANCHI
10	फोन नं० एसटीडी कोड सहित/मोबाइल नं० 9835298879
11	फैक्स नं० एसटीडी कोड सहित -
12	ई-मेल पता, यदि कोई हो schoolhcps@gmail.com
13	निकटतम पुलिस थाना SUKHDEO NAGAR/PANDRAP

कोषागार में जमा किए गए राशि की विवरणी जो (मुख्य शीर्ष-0202 शिक्षा खेल कला एवं संस्कृति उप मुख्य शीर्ष 01 - सामान्य शिक्षा लघु शीर्ष 101- प्रारंभिक शिक्षा) में चालन के माध्यम से जमा किया जाएगा :-

वर्ग 1 से 5 के लिए - रू०12,500/- (चालान संख्या

वर्ग 1 से 8 के लिए - रू० 25,000/- (चालान संख्या GRN:1902985722) जो अप्रत्यर्पणीय (Non Refundable) होगा। (ATTACHED CHALLAN)

नोट :- चालान की छाया प्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा।

ख-साधारण सूचना	
1	स्थापना का वर्ष 1998
2	पहली बार विद्यालय खोलने की तारीख 01/04/1998

3	न्यास/सोसाइटी/प्रबंध समिति का नाम (जिसका पंजीकरण महानिरीक्षक, निबंधन, झारखंड, राँची से पंजीकृत हो) की प्रति संलग्न करें।	RP EDUCATIONAL TRUST (DEED ATTACHED)
4	न्यास/सोसाइटी/प्रबंध समिति रजिस्ट्रीकृत है।	YES
5	यह अवधि जिस तक न्यास/सोसाइटी/प्रबंध समिति रजिस्ट्रीकरण विधिमान्य है। (बाईलाज की प्रति संलग्न करें)	TILL IT DISSOLVES (DEED ATTACHED) AS PER TRU
6	(क) न्यास/सोसाइटी/प्रबंध समिति के प्रतिनिधि निर्वाचित अथवा मनोनित किये गये है तो निर्वाचन अथवा मनोनयन किनके द्वारा एवं कब किया गया। (ख) यह अवधि जिस तक न्यास/सोसाइटी/प्रबंध समिति के गैर-स्वामित्व प्रकृति का कोई सबूत है, जो शपथ-पत्र पर सदस्यों के पतों सहित उनकी सूची द्वारा समर्पित हो।	BY THE EXISTING TRUST MEMBERS DATE - 19/10/2014 ATTACHED
7	विद्यालय के प्रबंधक/अध्यक्ष/चेयरमैन का नाम और शासकीय पता।	
	नाम : MRS. KANCHAN DAYAL	
	पदनाम : MANAGER / ADMINISTRATOR	
	पता : ARYA NAGAR ROAD NO-01 RATU ROAD RANCHI	
	फोन : 9835336897	कार्यालय 9835298879
	ईमेल : schoolhops@gmail.com	

8	पिछले तीन वर्षों के दौरान कुल आय और व्यय/अधिक्य/कमी				
	वर्ष	आय (रु०)	व्यय (रु०)	अधिक्य (रु०)	कमी (रु०)
1	2016-17 2019-20	18400222/-	15814540/-	2585682/-	
2	2017-18 2020-21	9365549/-	8407259/-	958290/-	
3	2018-19 2021-22	21790646/-	19391017/-	2399629/-	

शुल्क एवं अन्य प्रभार की दर : (शैक्षणिक सत्र 2019-20)

वर्ग	शिक्षण शुल्क	पंजीयन शुल्क	नामांकन शुल्क	सुरक्षित जमा	वार्षिक प्रभार	विकास शुल्क	अन्य प्रभार	योग
पूर्व प्राथमिक	1350	500	7000	2000	4250	1700	-	16800
I	1610	500	8000	2000	4800	1700	-	18610
II	1610	500	8000	2000	4800	1700	-	18610
III	1610	500	8000	2000	4800	1700	-	18610
IV	1750	500	10000	2000	4950	1700	-	20900
V	1750	500	10000	2000	4950	1700	-	20900
VI	1900	500	15000	2000	5250	1700	-	26350
VII	1900	500	15000	2000	5250	1700	-	26350
VIII	1900	500	15000	2000	5250	1700	-	26350

ग-विद्यालय का स्वरूप और क्षेत्र		
1	शिक्षा का माध्यम	ENGLISH
2	विद्यालय की किस्म (प्रवेश और अंतिम कक्षाएं उल्लेखित करें) यथा: अधिनियम की धारा 2 (n) में वर्णित	NURSERY TO X
3	यदि विद्यालय सहायता प्राप्त है तो अभिकरण का नाम और सहायता का प्रतिशत	- NA -
4	क्या विद्यालय मान्यता प्राप्त है	YES
5	यदि हाँ, तो प्राधिकार का नाम एवं मान्यता संख्यांक	CBSE AFFILIATION No-3430359
6	विद्यालय का अपना स्वयं का भवन है या वह किराए के भवन में कार्य कर रहा है	ON LEASE
7	क्या विद्यालय के भवन या अन्य संरचनाओं या कीड़ा स्थलों को उपयोग केवल शिक्षा और कौशल विकास के प्रयोजन के लिए किया जा रहा है।	YES ONLY FOR SCHOOL PURPOSE
8	विद्यालय का कुल भूमि (रकबा एकड़ में, खाता एवं प्लॉट संख्या सहित) संबंधित संचालन सोसायटी/विद्यालय के नाम से Registered Sale Deed/Lease Deed जो भी लागू हो, से संबंधित निबंधन कार्यालय का प्रमाण पत्र विहित प्रपत्र में संलग्न करना अनिवार्य है) नोट :- प्राथमिक विद्यालय की स्थिति में शहरी क्षेत्र - 40 डिशमिल ग्रामीण क्षेत्र - 60 डिशमिल मध्य विद्यालय की स्थिति में शहरी क्षेत्र - 0.75 एकड़ ग्रामीण क्षेत्र - 1.00 एकड़	रकबा एकड़ में - 1.03 ACRE खाता संख्या - 4, 5 & 12 प्लॉट संख्या - R. S PLOT No- 301, 306, 307 & 309 & 494
9	विद्यालय का निर्मित क्षेत्र	23,542 Sq. ft

10. विद्यालय के नाम से 1,00,000/- (एक लाख) रु० का सावधि जमा (Fixed Deposit) स्थायी रूप से सुरक्षा कोष के रूप में रखना अनिवार्य होगा तथा इसकी छाया प्रति सक्षम प्राधिकार के कार्यालय में सुरक्षा हेतु जमा करना होगा। ATTACHED

घ-नामांकन: प्रास्थिति					
	कक्षा	वर्गों की संख्या	विद्यार्थियों की संख्या	कार्यरत शिक्षक की संख्या	छात्र:शिक्षक अनुपात
1	पूर्व-प्राथमिक	05	162	05	32:1
2	1 से 5	10	388	12	32:1
3	6-8	06	194	08	24:1

नोट: प्राथमिक विद्यालय के लिए -

- यदि 120 से कम छात्र हों तो 30 छात्र पर एक शिक्षक।
- यदि 121 से अधिक एवं 200 के मध्य हो तो कम से कम पाँच शिक्षक।
- 200 से अधिक छात्र संख्या होने पर छात्र शिक्षक अनुपात 40 से अधिक न हो।

मध्य विद्यालय के लिए -

- वर्ग 6 से 8 के लिए 35 छात्र पर एक शिक्षक।

इ-अवसंरचना के ब्यौरे और स्वच्छता संबंधी दशाएं

क्रमांक	कक्षा	संख्या	औसत आकार (लंबाई x चौड़ाई)
1	कक्षा	21	28'-0" x 18'-0"

(3)

2	कार्यालय कक्ष भंडार कक्ष प्राध्यापक कक्ष इत्यादि	7 nos.	22'-0" X 18'-0"
3	रसोईया-सह-भंडार कक्ष	-	-
4	चहरदीवारी सी.सी.टी.वी	हैं/नहीं है हैं/नहीं है	यदि है तो कुल लम्बाई - 452 m मीटर में । यदि है तो कुल कैमरो की संख्या 70
5	खेल का मैदान	हैं/नहीं है	यदि है तो मैदान का कुल क्षेत्रफल 56,500 sq. ft
6	पेयजल और स्वच्छता में विद्यालय को कम से कम 3 स्टार की ग्रेडिंग हो ।		YES (4 star)

च-अन्य प्रसुविधाएं

1	क्या सभी प्रसुविधाएं तक बाधारहित पहुँच प्राप्त है	YES
2	अध्यापन पठन सामग्री (सूची संलग्न करें)	RESOURCE ROOM MATERIALS (ATTACHED)
3	खेल-कूद और कीड़ा उपस्कर (सूची संलग्न करें)	YES (ATTACHED)
4	पुस्तकालय में पुस्तकों की सुविधापुस्तकें (पुस्तकों की संख्या)पत्रिकाएं/समाचार-पत्र	YES 4150 10 PERIODICALS + 5 NEWS PAPERS
5	1. पेयजल सुविधाओं की किस्म और संख्या 2. रनिंग वाटर की सुविधा 3. अग्निशमन का पर्याप्त सुविधा हो (प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य है) 4. तड़ित चालक की स्थिति	DEEP BORING (2 Nos) YES हैं/नहीं है YES (ATTACHED) हैं/नहीं है । YES
6	स्वाच्छता संबंधी दशाएं	GOOD
	(1) W.C और मूत्रालयों की किस्म	FLUSH
	(2) बालकों के लिए पृथक मूत्रालयों शौच/गुहों की संख्या	16 Nos.
	(3) बालिकाओं के लिए पृथक मूत्रालयों/शौचगुहों की संख्या	10 Nos.

छ. अध्यापन कर्मचारीवृद्ध :- प्राथमिक और माध्यमिक दोनों में अध्यापन (प्रत्येक अध्यापक के ब्यारे पृथक रूप से भरे जाएंगे) (अलग से भी विहित प्रपत्र में डेटा संलग्न किया जा सकता है)

क्रमांक	अध्यापक का नाम (1)	पदनाम (2)	पिता/पति या पत्नी का नाम (3)	जन्म तिथि की तारीख (4)	शैक्षिक अर्हता (5)	प्रशिक्षणिक अर्हताएं (6)	शिक्षक पात्रता परीक्षा (टेस्ट) (7)	अध्यापन संबंधी अनुभव (8)	सोपी गई कक्षा (9)	नियुक्ति की तारीख (10)	अध्यापन संबंधी अनुभव (11)
	DOCUMENTS ATTACHED										

नोट :-

- आर.टी.ई के मानक के अनुरूप प्राथमिक कक्षा के लिए न्यूनतम इंटर व समतुल्य योग्यता के साथ दो वर्षीय डी.एल.ई.डी/समतुल्य प्रशिक्षित होना अनिवार्य होगा । Teacher Eligibility Test अनिवार्य है । शिक्षक अर्हता के संबंध में राज्य सरकार/एन.सी.टी.ई द्वारा समय समय पर निर्धारित मानक प्रभावी होंगे ।
- कक्षा 06 से 08 के शिक्षकों के लिए न्यूनतम स्नातक व समतुल्य के साथ बी.एस व समतुल्य डिग्री प्रशिक्षित होना अनिवार्य होगा । Teacher Eligibility Test बांछित होगा । शिक्षक अर्हता के संबंध में राज्य सरकार/एन.सी.टी.ई द्वारा समय समय पर निर्धारित मानक प्रभावी होंगे ।

पाठ्यचर्या और पाठ्यक्रम		
1	क्या कक्षा में अपनाई गई पाठ्यचर्या और पाठ्यक्रम के शीर्ष (कक्षा 1 से 8 तक)	LIST ATTACHED
2	विद्यार्थियों के निरीक्षण की प्रकृति	PERIODIC TEST & EXAMS
3	क्या विद्यालय के विद्यार्थियों से कक्षा 6 तक कोई बोर्ड परीक्षा देने की अपेक्षा की जाती है ?	NO
4	MCEAT अथवा राज्य सरकार द्वारा निर्धारित लर्निंग ऑउटकम के अनुसार पाठ्यक्रम संचालित करना अनिवार्य होगा एवं राज्य सरकार या उसके प्राधिकृत प्राधिकार द्वारा आयोजित की जानेवाली वर्ग 8 की परीक्षा में सम्मिलित होना आवश्यक होगा। समय-समय पर राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मानक इत्यादि का पालन करना होगा।	

(द्व) प्रमाणित किया जाता है कि राज्य प्राधिकार द्वारा किसी अधिकारी द्वारा विद्यालय की भी निरीक्षण किया जाता जा सकता है।


(ब) प्रमाणित किया जाता है कि विद्यालय यह बचनवध करता है कि वह एस सभी प्रतिवेदन एवं नक़दरियाँ प्रस्तुत करेगा जो समय-समय पर जिला शिक्षा अधीक्षक द्वारा अपेक्षित हो और राज्य प्राधिकार या जिला शिक्षा अधीक्षक के ऐसे सभी अनुदेशों का अनुपालन करेगा, जो मान्यता की शर्तों के तहत अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए या विद्यालय के कार्यकलाप में कमियों को दूर करने के लिए जारी किए जायेंगे।

(ट) प्रमाणित किया जाता है कि इस अधिनियम के कार्यान्वयन से संबंधित विद्यालय के अभिलेख समय-समय पर जिला शिक्षा अधीक्षक या राज्य प्राधिकार द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी द्वारा निरीक्षण के लिए उपलब्ध होंगे और विद्यालय एसी सभी सूचनाएँ प्रस्तुत करेगा, जो राज्य सरकार या स्थानीय प्राधिकार या शासन को यथास्थिति संसद/विधान सभा/पंचायत/नगरपालिका के प्रति उसकी बाध्यताओं का निर्वहन में समर्थ बनाने के लिए आवश्यक हों।

हो/—
अध्यक्ष/प्रबंधक/चेरमन
प्रबंध समिति

दिनांक 10/11/2023
स्थान RANCHI

School Name	HOLY CHILD PUBLIC SCHOOL
Government Receipt Number (GRN)	1902985722
Department ID	JEPC
Receipt Head Code	NA
Department Transaction Number	NA
Depositor ID	NA
Phone Number	9835298879
Depositor Name	HOLY CHILD PUBLIC SCHOOL
Application Number	
School Type	1-8
Challan Identification Number (CIN)	
IMFS Office Code	NA
Security Code	
Payment Status	
Transaction Date	
Treasury Code	NA
Payment Mode	
Receipt Head Code	NA
Amount	



Principal
Holy Child Public School
Affi. No.- 3430359
School Code- 66558



Manager
Holy Child Public School